न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर जोधपुर (ग्रामीण)
पीठासीन अधिकारी श्रीमति सीमा कविया आर0ए0एस0

राजस्व अपील सं. – 480/2023
जीसीएमएस नम्बर – 2023/599

अपीलार्थी

1. कानाराम पुत्र पूनाराम
2. उमाराम पुत्र पूनाराम
3. अमराराम पुत्र सियाराम
4. प्रकाशचन्द पुत्र सियाराम
5. दीपाराम पुत्र सियाराम
6. रामस्वरूप पुत्र सियाराम
7. भैराराम पुत्र सियाराम
8. अर्जुनराम पुत्र सियाराम

जातियान् माली, निवासीगण चौकड़ी कला, तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।

बनाम

प्रत्यर्थीगण

1. सरकार जरिये पटवारी पटवार मण्डल चौकड़ी कला तहसील पीपाड़ शहर।
2. तहसीलदार पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व आदेश दिनांक 27.07.2018 मुकदमा संख्या 36/2018–19 (64/2016) में तहसीलदार पीपाड़ शहर द्वारा पारित किया गया।

उपस्थिति :–

1. अभिभाषक श्री बी एस भंवरिया (अपीलार्थीगण)।

–: **आदेश** :– दिनांक :– 17.05.2024

अपीलार्थीगण ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 आदेश दिनांक 27.07.2018 मुकदमा संख्या 36/2018–19 (64/2016) में तहसीलदार पीपाड़ शहर द्वारा पारित किया गया के विरूद्व पेश की है। जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि हल्का पटवारी चौकड़ी कला में राजकीय भूमि पर अवैध कब्जा कर अतिक्रमण करने की शिकायत पर प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत् पेश किया गया, जिस पर दिनांक 15[illegible] को तहसीलदार पीपाड़ शहर ने प्रकरण दर्ज कर नो[illegible] दिनांक 19.07.2016 को

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Kavia
Date: 2024.05.24 18:35:36 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली फैसल शुमार कर दी गई। उसके बाद दिनांक 10.02.2017 को प्रकरण पुनः प्रारम्भ कर दिनांक 20.03.2017 को फैसल कर दिया गया। तत्पश्चात् अतिरिक्त जिला कलक्टर भू.रू.जोधपुर एवं राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर के निर्देशानुसार प्रकरण में विस्तृत जांच कर युक्तियुक्त निर्णय पारित करने के आदेश पर पत्रावली दिनांक 04.07.2018 को पुनः दर्ज की गई। आगामी तारीख पेशी 17.07.2018 को अपीलार्थीगण की ओर से अधीवक्ता अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुए और मौके की वास्तविक स्थिति जानने के लिए कमिश्नर नियुक्त करने बाबत् एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 7 सीपीसी का प्रस्तुत किया और जवाब के लिए समय चाहा। इसके पश्चात् आगामी पेशी दिनांक 27.07.2018 को अधीनस्थ न्यायालय ने पक्षकारों को बिना कोई सुनवाई का अवसर दिये अप्रार्थी को बेदखल करने और कुल 20 रुपये जुर्माने का आदेश पारित कर दिया, जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण ने यह अपील पेश की है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर प्रत्यर्थीगण को नोटिस जारी किया गया तथा मूल अभिलेख तहसीलदार पीपाड़ शहर से तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय से मूल अभिलेख प्राप्त होने पर प्रकरण में अपीलार्थीगण अभिभाषक की बहस दिनांक 06.05.2024 को सुनी गई तथा पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 17.05.2024 को रखी गई।

अपीलार्थीगण अभिभाषक ने गुणावगुण बहस में बतलाया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधिविरुद्ध एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत होने से अपास्त किये जाने योग्य है। अपीलार्थीगण की ओर से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मौके की वास्तविक स्थिति जानने के लिये मौका कमिश्नर रिपोर्ट मंगवाने का प्रार्थना–पत्र पेश किया गया लेकिन अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलार्थीगण का प्रार्थना–पत्र खारिज कर दिया गया। अपीलार्थीगण द्वारा जवाब पेश करने हेतु समय चाहा गया लेकिन जवाब पेश करने का मौका नहीं दिया गया। अन्त में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.07.2018 को अपास्त करने की प्रार्थना की।

पत्रावली का अवलोकन किया एवं अपीलार्थी अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। प्रकरण में यह तथ्य निर्विवादित है कि अपीलार्थीगण द्वारा ग्राम चौकड़ी कला के खसरा नं. 592 रकबा 0.02 बीघा किस्म गैर मुमकिन रास्ता भूमि पर अतिक्रमण किया गया है, अतः [illegible] राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Kavia
Date: 2024.05.24 18:35:36 IST
Reason: SelfAttested

की धारा 16 के अन्तर्गत प्रतिबंधित श्रेणी की भूमि में आती है। अपीलार्थीपक्ष अभिभाषक का कथन है कि अपीलार्थी को सुनवाई का मौका नहीं दिया गया लेकिन अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त मूल रिकॉर्ड का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि अपीलार्थीगण व उनके अधिवक्ता अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुए तथा जवाब के लिए समय चाहा। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा 10 दिवस का समय दिया गया फिर भी अपीलार्थी द्वारा कोई जवाब पेश नहीं किया गया तो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति के साथ मूल अभिलेख अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(सीमा कविया)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
जोधपुर (ग्रामीण)

आदेश आज दिनांक 17.05.2024 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सीमा कविया)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
जोधपुर (ग्रामीण)

Signature Not Verified

Digitally signed by Seema Kavia
Date: 2024.05.24 18:35:36 IST
Reason: SelfAttested